



# कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(हैरिटेज मुख्यालय भवन, बड़ी चौपड़, हवामहल के पीछे, जयपुर-01)



क्रमांक

एफ-59( )एस.ई.-हैरिटेज/ननिज/2021/678

दिनांक:-13/08/2021

अति-महत्वपूर्ण

उपायुक्त (स्वास्थ्य / सतर्कता),  
उपायुक्त (हवामहल-आमेर / किशनपोल जोन / आदर्श नगर जोन),  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।  
अधीक्षण अभियन्ता स्मार्ट सिटी जयपुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित शीर्षक समाचार "जिम्मेदार दफतर छोड़े, धरातल पर उतरें तो बदलें हालात" के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के पत्रांक एडीएम-3/338 दिनांक 11.08.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्रीमान् कलेक्टर महोदय से प्राप्त पत्र के साथ संलग्न दैनिक अखबार की कटिंग संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त पत्र के क्रम में निवेदन है कि पत्र के साथ दैनिक अखबार की कटिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट से अवगत करावें ताकि श्रीमान् कलेक्टर महोदय को जवाब भिजवाया जा सके।

उक्त प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(डॉ अनिल घीया)

अधीक्षण अभियन्ता

नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. गार्ड फाईल।

अधीक्षण अभियन्ता  
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एडीएम-3/338

दिनांक: 11/3/21

आयुक्त  
जयपुर नगर निगम  
जयपुर हैरिटेज  
जयपुर ।

विषय- दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित शीर्षक समाचार  
"जिम्मेदार दफतर छोड़ें, धरातल पर उतरें तो बदलें हालात" के  
सम्बन्ध में ।

महोदय,

उक्त प्रकरण माननीय मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय से Lines  
Application पर अपलोड होकर प्राप्त हुआ है। इस पर आवश्यक कार्यवाही आपके  
कार्यालय द्वारा की जानी है।

कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही की  
रिपोर्ट/वस्तुस्थिति रिपोर्ट सर्वोच्च प्राथमिकता से इस कार्यालय को जरिये ई.मेल  
(adm3.col.jpr@rajasthan.gov.in) प्रेषित करावें जिससे प्रकरण में माननीय मुख्य  
सचिव कार्यालय को जवाब प्रेषित किया जा सके ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

कृते जिला कलक्टर  
जयपुर

# जिम्मेदार दफ्तर छोड़ें, धरातल पर उतरें तो बदलें हालात



पत्रिका  
ग्रांड  
रिपोर्ट

आपकी आंखों पर बेपरवाही की पट्टी है, यहां लापरवाह मिटा रहे विरासत

6 जुलाई, 19 को विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था परकोटा क्षेत्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
DAILY NEWS

जयपुर. राजधानी के परकोटा क्षेत्र को 6 जुलाई को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुए दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन दो वर्ष 19 दिन में विश्व स्तरीय सम्मान को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। स्थिति ये है कि हमारी विरासत लोहे के खंभों पर टिकी है। यदि जिम्मेदार विभागों ने दफ्तरों से निकलकर धरातल पर काम करना शुरू नहीं किया तो यूनेस्को के तिरपुल की तरह हमारा सम्मान जमान में खर नहीं लगता। 21 जुलाई को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने दिवसगुरु को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया है। दरअसल 2022 में परकोटा के संरक्षण का प्लान यूनेस्को में पेश करना है। उसमें बताया होगा कि 300 वर्ष पुराने शहर को संवारने के लिए क्या काम किए गए हैं और आगे क्या व्यवधान रखेंगे।

विश्व विरासत सूची में शामिल होने के बाद निगम ने ट्रेन मध्ये शुरू कराया। दावा था कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होगी, फाउंड 34 वर्ष से टैंट करते में है। अधिकारी दली जुधान में रोकथाम है कि राजनीतिक दखल से कार्रवाई नहीं कर पा रहे। 1700 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जवाब 25 न ही दिया।


संवारने का काम अधर में: परकोटा को संवारने का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है। निगम के खाते में इसके लिए बजट भी है। 115.9 किमी के परकोटा में से 9.5 किमी का परकोटा अय अस्तित्व में ही नहीं है। इसके बाद भी निगम के अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं।



राष्ट्रीय जीहरी बजार के बचामों में जान जोखिम में लेकर गुजरने की भजवूर है।



जीहरी बाजार में संवदर को बरामदे की रन का प्लास्टर गिर पड़ा।



प्लास्टर उखड़ने के बाद बरामदे के गिरने की आशंका है।




1. वाहनों का दबाव: परकोटा क्षेत्र में वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। सोलानी पैदल सुरक्षित धूम सके इसके लिए वाहनों का दबाव करना होगा। रागनिवास बाग में पार्किंग विस्तार का काम शुरू हुआ है। रीगान स्टैडियम में भूमिगत पार्किंग क्रमकर तैयार है। टास कार्ययोजना न होने से वा पार्किंग खाली है।
2. अतिक्रमण और नए निर्माण: राज्य सरकार परकोटा को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर चुकी है। नए बिल्डिंग बाइलॉज भी लागू कर दिए गए। इसके बाद भी न ही नया निर्माण रुका और न ही नए बिल्डिंग बाइलॉज से भरागत और निर्माण किए जा रहे हैं। निगम अधिकारियों की गिलीगगत से रोकड़ों नए निर्माण परकोटा क्षेत्र में चल रहे हैं।
3. सफाई व्यवस्था: सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर भी कोई जोस कार्ययोजना निगम की ओर से नहीं बनाई गई।

## राजस्थान हेरिटेज कमेटी

इसकी निर्णायक रूप से बैठक ही नहीं हो पाती। सारा अप्रैल को बैठक में जो निर्णय हुए, उनमें से अद्य तक किसी एक पर भी अमल होना शुरू नहीं हो पाया है। मुख्य सचिव निरजन आर्य ने चारदीवारी की प्रभावी निगरानी के निर्देश भी दिए थे।

## विशेषताओं में नुकसान

यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने कर्तव्य सत्र में लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटाने का निर्णय लिया। समिति ने माना कि ये निर्माण साइट की प्राथमिकता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। विशेषताओं में अपरिवर्तनीय नुकसान किया गया है। वर्ष 2004 में लिवरपूल में रिटाषम मफेडेशन सिटी को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। 8वीं और



19वीं शताब्दी में दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से लिवरपूल एक हुआ करता था। वर्ष 2012 में लिवरपूल के शहरी इलाके के निकट भवनों ल इमारतों के निर्माण संधी गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। इससे पहले डेसडेन (जर्मनी) में पहले बेसी और ओरियन्ट ओरियन्ट सेक्टरों (ओमान) अपना विश्व विरासत वार प्रजा रखा चुके हैं।